कृषि निदेशालय, बिहार

आ0 संख्या–6 / स्था0अन्य–86 / 15 / कृ0, पटना, दिनांक , 2016

आदेश

श्री जावेद अनवर, कृषि समन्वयक (कृषि कार्य मुक्त) पंचायत कुढवा, प्रखंड कल्याणपुर, समस्तीपुर को असमायिक वर्षा / ऑधी / ओलावृष्टि के प्रभावित फसल क्षति प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने, क्षेत्र भ्रमण नहीं करने तथा कृषि कार्य मे अभिरूची नहीं लेने के आरोप में जिला कृषि कार्यालय, समस्तीपुर के आदेश ज्ञापांक–676 दिनांक 02.05.2015 द्वारा तत्काल प्रभाव से चयनमुक्त कर दिया गया।

2. चयनमुक्त कृषि समन्वयक श्री अनवर द्वारा कृषि निदेशक के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया। समर्पित अपील अभ्यावेदन में उल्लेखित किया कि किसान सलाहकार से मिलकर किसानों के फसल क्षति का सर्वेक्षण कर किसानों की सूची बनाया था, तथा एक पंचायत में किसान सलाहकार का पद रिक्त रहने के वाबजूद भी दरवाजे–दरवाजे जाकर खुद सर्वेक्षण सूची तैयार किया। फसल सर्वेक्षण प्रतिवेदन एवं किसानों की सूची जमा करने में सिर्फ कुछ घंटो का विलंब हुआ।

3. श्री अनवर ने अपने बचाव में कहा है की जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा पत्रांक–664 दिनांक 30.04.15 के द्वारा तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया एवं वह पत्र दिनांक 02.05.15 को तामिल कराया गया जिसकी छायाप्रति संलग्न किया गया। परन्तु निर्धारित कालावधि पत्र प्राप्ति की तिथि 02.05.15 से तीन दिनो की समाप्ति के पूर्व दिनांक 02.05.15 को ही चयनमुक्त कर दिया गया।

4. श्री अनवर से प्राप्त अपील अभ्यावेदन की सम्यक रूप में विस्तृत समीक्षा की गयी तथा पाया गया कि इन्होने अपने वास्तविक पदीय दायित्वों एवं कार्यो के अतिरिक्त भी अन्य कार्य किये। उक्त अतिरिक्त कार्य बोझ के कारण इनके द्वारा कतिपय त्रुटियों फसल क्षति प्रतिवेदन में हुई विलंब, वास्तविक रूप से इनकी मंशा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने का प्रमाणित नहीं पाया गया।

5. कृषि निदेशालय के पत्र संख्या–1134 दिनांक 16.12.15 के प्रसंग में जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर में श्री अनवर के अपील अभ्यावेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पुनः सेवा में वापस लेने का मंतव्य दिया है।

6. श्री अनवर के अपील अभ्यावेदन पर अपीलीय प्राधिकार के रूप में सभी तथ्यो तथा संलग्न साक्ष्यो के आधार पर की गई समीक्षा तथा जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर के मंतव्य के आधार पर पाया गया कि इनके कर्त्तव्य में पायी गयी त्रुटियों की तुलना में दिया गया दंड समानुपातिक नहीं है।

अतः श्री अनवर द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेखों एवं समर्पित स्पष्टीकरण पर पूर्ण समीक्षोपरान्त आदेश ज्ञापांक–676 दिनांक 02.05.2015 से दिये गये दण्डादेश को निरस्त किया जाता है तथा संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को आवेदक को समुचित अवसर प्रदान कर गुण–दोष के आधार पर सुनवाई कर समुचित आदेश पारित करने हेतु Remand किया जाता है।

ह0 / –
(बी0 कार्तिकेय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक –251 कृ0, पटना, दिनांक–21.03, 2016

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर / संबंधित संयुक्त कृषि निदेशक / जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर / प्रखंड विकास पदाधिकारी, कल्याणपुर, समस्तीपुर / प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कल्याणपुर, समस्तीपुर / श्री जावेद अनवर, कृषि समन्वयक (कृषि कार्य मुक्त) पंचायत कुढवा, प्रखंड कल्याणपुर, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.03.16

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

D:\ALL File Section_06\Order_2016\10.03.2016 (order).doc